रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1988/पौष 17, 1909
No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1988/PAUSA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1988

अधिसूचना

का. आ. 22(अ):—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तारीख 21 मई, 1984 के भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम विभाग) की तारीख

21 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या का.आ. 567(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "गोदियां और पत्तन" कोमा तथा शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

[सं. एस-32019/4/83-डब्ल्यू.सी. (एम. डब्ल्यू.)]

ए०के० लूथरा, निदेशक

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th January, 1988

NOTIFICATION

S. O. 22 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation, (Department of Labour), No. S. O. 567 (E), dated the 21st May, 1984, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3-Sub-Section (ii), dated the 21st May, 1984, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, the comma and words, "docks and ports" shall be omitted.

[No. S-32019/4/83-W. C. (M. W.)]

A. K. LUTHRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988